Re1

4

अंग्रेजी माध्यम

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

गाजियाबाद।

प्रेष्य,

प्रबन्धक,

निस्कोर्ट फादर एग्नल स्कूल

ए–2 सेक्टर–1 वैशाली गाजियाबाद।

पत्रांक / मान्यता–शि0स0 / 18004-18006 / 2018–19 दिनांकः 31-03-2019

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

प्रिय महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 15.02.2019 के और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से निस्कोर्ट फादर एग्नल स्कूल ए–2 सेक्टर–1 वैशाली गाजियाबाद को कक्षा–नर्सरी से कक्षा–08 तक हेतु दिनांक 01.04.2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 30.03.2019 की कार्यवाही में व्यक्त सहमति अनुमोदन के आधार पर औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ:–

1. मान्यता के लिये स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता / सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास–पड़ोस के कमजोर वर्गों और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक / उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. प्रस्तर–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण, धर्म, जाति, अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर प्रवेश देने से इंकार नही करेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा–

(एक) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(दो) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(पॉच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(छः) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है। विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–12488.88 वर्गमी कुल निर्मित क्षेत्र–9426.86 वर्गमी कीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल–3413.18वर्गमी
कक्षाओं की संख्या–60 प्राधानाध्यापक कक्ष–01 सह–कार्यालय–02 सह–भंडागार के लिए कक्ष–01
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– है पेयजल सुविधा– उपलब्ध हैं।
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई– X बाधा रहित पहुंच है
अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता है।

10 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।

13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

14 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड, अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याकं–नर्सरी-VIII–226/2019–20 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्याकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

18. छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु प्रति छात्र 9 वर्ग फीट का स्थान सुरक्षित करते हुए कक्षों की माप के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित की जाए।

19 विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

20. संलग्न अनुसलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्ते।

मान्यता प्राप्त करने में यदि किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा अथवा दिये गये पत्राजातों में कोई पत्र फर्जी या कूटरचित पाया जाता है तो यह मान्यता पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा उचित कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

भवदीय

(राजेश कुमार श्रीवास)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

पृ0सं0/मान्यता/ /2018–19 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नाकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र साहिबाबाद संभाग गाजियाबाद।
3. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।